

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8627 / 3408-09 दिनांक: 17-12-18.

सेवा में

1. वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत ।

विषय: Diversion of 0.0018 ha. of forest land for access to M/s Shri Laxmi Chemical along Pipli Khara to Ramnagar road, R/side, at Village Ramnagar, under forest division and District Sonipat, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/33603/2018

संदर्भ: वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक का पत्र क्रमांक 3378 दिनांक 12-12-2018 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजे तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 2-2 प्रतियों में भेजे :-

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश का प्रमाण पत्र {एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र} अपलोड नहीं किया गया है और न ही प्रस्ताव के साथ भेजा गया है । कृपया मूल एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी से ऑनलाईन फार्म-ए पार्ट-1 में Additional information Details के तहत अपलोड करवाया जाए और मूल प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए ।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए सड़क के साथ की सुरक्षित वन पट्टी भारत सरकार को मान्य नहीं है । अतः सी0ए0 के लिए सड़क के साथ की सुरक्षित वन पट्टी के स्थान पर अन्य वन क्षेत्र का चयन करके तदानुसार सी0ए0साईट मार्क की हुई टोपोशीट, डी0जी0पी0एस0 मैप, के0एम0एल0 फाईल व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रोपर लिंक पर अपलोड करें व हस्ताक्षरित प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजे ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

पृ0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8627 / 3410

दिनांक: 17/12/18.

एक प्रति M/s Shri Laxmi Chemical को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।